

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला-जयपुर ग्रामीण)

मुकदमा नम्बर : 230/388/06

बनाम बाबुलाल वसंत

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-----------	---------------------------	----------------------	-------------

22/5/24 प्रस्तावितिंग ऑफीसर बौर/अकाश  
वर है। अंतः अग्रिम कार्यवाही हेतु  
दिनांक 27/5/24  
को पेश हो। [Signature]

27/5/24 वर वादी उपर। वलदीयत पेश करने हेतु एक  
ओर आमिह भवत दिना जाकर आगामी  
पेशी पर पत्रावली का मिस्तरण जुणाक्युब  
के आधार पर कर दिया जायेगा। पत्रावली  
एास्ट पेश करने वलदीयत दिनांक 05/6/24  
को पेश हो। [Signature]

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक)  
चौमूं (जयपुर)

05/6/24 वर वादी उपर। वलदीयत पेश करने हेतु प्रस्ताव  
अवतत दिये गये। इसके उपरान्त भी वलदीयत  
पेश नही की गई। ओर नाही ऐसा कोई साह्य  
पेश किया। अतः वादी का वाद अखीमा लकर  
अपारित किया जाता है। विस्तृत निर्णय धुचमु  
से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया  
गया। [Signature] जारी हो। पत्रावली फंसल  
सुमार होकर फर्द नम्बर से कम हो। पारिवल  
दफतर हो। [Signature]

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक)  
चौमूं (जयपुर)



न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमू, जिला-जयपुर  
पीठासीन अधिकारी -रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:-230/388/2008

उनवान

1. गुलाब नाथ पुत्र भूरानाथ (मृतक दौराने दावा)
- 1/1. मालूराम पुत्र गुलाबनाथ योगी ग्राम सामोद तहसील चौमू
- 1/2. कमली पुत्री गुलाबनाथ पत्नि रामदयाल योगी निवासी रींगस रोड बन्धा चौमू।
- 1/3. बाबूलाल पुत्र गुलाबनाथ योगी ग्राम सामोद तहसील चौमू जिला जयपुर।
- 1/4. श्रवण कुमार पुत्र गुलाबनाथ
- 1/5. कैलाश चन्द्र पुत्र गुलाबनाथ
- 1/6. शंकर पुत्र गुलाबनाथ
- समस्त जाति योगी, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमू जिला जयपुर।
- 1/7. सीता पुत्री गुलाबनाथ पत्नि लालचन्द, जाति योगी, निवासी सालासर बस स्टैण्ड जोगियो का मोहल्ला सीकर।
2. प्रहलाद नाथ पुत्र भूरानाथ, जाति योगी, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

-वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व0 गोपी जाति योगी, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमू जिला जयपुर।
2. मालीराम पुत्र स्व0 गोपी जाति योगी, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. नन्दकिशोर पुत्र दुर्गासहाय, जाति योगी, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमू जिला जयपुर।
4. जितेन्द्र पुत्र दुर्गासहाय, जाति योगी, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमू जिला जयपुर।
5. श्रीमति बबली देवी पुत्री दुर्गासहाय पत्नि कैलाश जाति योगी निवासी ग्राम बगरूमहला जिला जयपुर।
6. श्रीमति सीता देवी पुत्री दुर्गासहाय पत्नि मदनलाल, जाति योगी निवासी बगरू महला जिला जयपुर।
7. श्रीमति गीता देवी पुत्री दुर्गासहाय पत्नि हनुमान सहाय जाति योगी निवासी मोरीजा रोड चौमू जिला जयपुर।
8. श्रीमति बल्ली देवी पुत्री दुर्गासहाय पत्नि ओमप्रकाश जाति योगी निवासी ग्राम नया बस स्टैण्ड शाहपुरा जिला जयपुर।
9. रामदयाल पुत्र हणमान जाति योगी निवासी ग्राम सामोद तहसील चौमू जिला जयपुर।
10. राजेन्द्र पुत्र हणमान जाति योगी निवासी ग्राम सामोद तहसील चौमू जिला जयपुर।
11. शान्ति देवी पुत्री हणमान जाति योगी, निवासी ग्राम जोगियो का मोहल्ला, चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर।
12. माली देवी पुत्री हणमान जाति योगी, निवासी ग्राम जोगियो का मोहल्ला, चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर।

5  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक)  
चौमू (जयपुर)

13. कमल पुत्र स्व० प्रभू जाति योगी निवासी ग्राम सामोद तहसील चौमूं
14. औमप्रकाश पुत्र प्रभू (मृतक दौराने दावा)  
14/1. श्रीमति मिश्री देवी पत्नि ओमप्रकाश, निवासी ग्राम सामोद तहसील चौमूं जिला जयपुर।
15. जगदीश पुत्र प्रभू जाति योगी, निवासी ग्राम सामोद तहसील चौमूं
16. आशा पुत्री प्रभू पत्नि कजोड जाति योगी निवासी डाबला तहसील सागानेर जिला जयपुर।
17. मुन्नी पुत्री प्रभू पत्नि ओमप्रकाश जाति, निवासी ग्राम जोगियो का मौहल्ला कस्बा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
18. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
20. मुरली देवी पत्नि रामेश्वर, जाति योगी निवासी ग्राम सामोद।
21. भगोती पुत्री रामेश्वर जाति योगी निवासी ग्राम सामोद तहसील चौमूं जिला जयपुर।
22. प्रेम पुत्री रामेश्वर जाति योगी निवासी ग्राम सामोद तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

### दावा बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा

अधीन धारा 88 89 बी व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

### निर्णय

दिनांक :- 05.06.2024

वादीगण ने उक्त वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम झीडा, पटवार हल्का विजयसिंहपुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूं जिला जयपुर में खाता संख्या 2328 फिर बने 39 जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 54 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें खसरा नम्बर 54 वादीगणों व प्रतिवादी संख्या 20 से 22 की पुश्तेनी राजस्व रिकार्ड की आराजी है। जिस पर पुर्व में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 22 के पिता-दादा स्व० भूरानाथ पुत्र श्यामनाथ रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 22 आज दिन तक लगातार एवं निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के काबिज काश्त हैं तथा लगान सरकारी अदा करते आ रहे हैं। जिसमें वादीगणों का हिस्सा 2/3 व प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 22 का हिस्सा 1/3 है। उक्त भूमि सम्वत् 2005 से 2014 की खतौनी बन्दोबस्त में उक्त भूरा पुत्र श्यामा उर्फ शामा के नाम दर्ज थी, किन्तु प्रतिवादीगणों के पिता व दादा गोपी, हणमान, प्रभू पुत्रान भूरा ने वादीगणों के पिता भूरा के नाम का नाजायज एवं गलत फायदा उठाते हुये बाला-बाला ही उक्त विवादित आराजीयात को अपने नाम इन्द्राज करवा लिया। इस पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 22 के पिता रामेश्वर ने ग्राम पंचायत सामोद में उक्त सम्बन्ध में आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया इस पर ग्राम पंचायत सामोद ने वादीगण व रामेश्वर के बयान कलमबन्द करने के पश्चात ग्राम पंचायत सामोद ने नामन्तकरण संख्या 106 दिनांक 28.09.1977 को गलत वल्दियत मानते हुए सर्व सम्मति से निरस्त फरमाते

उक्त भूमि में से 2/3 हिस्से को वादीगणों के तथा 1/3 हिस्से को प्रतिवादीगण संख्या 20 के पति व 21 व 22 के पिता स्व० रामेश्वर के नाम करने का निर्णय पारित किया तथा तत्कालिन हल्का पटवारी को तदनुसार नामान्तरण खोलने के आदेश ग्राम पंचायत सामोद ने दिये, किन्तु प्रतिवादीगण के दबाव से उक्त कार्यवाही को अन्जाम नहीं दिया गया व नाम करवाने का आश्वासन देते रहे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 उक्त आराजी में अपने पिता के नाम का फायदा उठाकर उक्त विवादित भूमि को बेचान कर वादीगणों को बेदखल कर देने पर आमदा हैं जिस आशय से उन्होंने दिनांक 07.11.2006 को वादीगण को स्पष्ट एलानियां धमकी दी कि हम इसे बेच कर रहेंगे, जिसका कि उन्हें कानूनन अधिकार नहीं है।

वादीगण ने वादी प्रस्तुत कर इस प्रकार अनुतोश चाहा है। कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा दुरुस्थी इन्द्राज का डिक्री किया जाकर खसरा नम्बर 54 रकबा 0.30 हैक्टर भूमि की हिस्से 2/3 की घोषणा वादीगण के नाम से तथा 1/3 हिस्से की घोषणा प्रतिवादीगण 20 ता 22 के नाम से की जाकर तदनुसार रिकार्ड दुरुस्थी कर पर्चा लगान अलग से कायम किया जावे। वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के इस कदर पाबन्द किया जावे कि वे विवादित भूमि को अन्यत्र बेचान हस्तान्तरित नहीं करें, ना ही वादीगणों के कब्जा काशत में एवं उपयोग -उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी मजाहमत या मदाहखलत पैदा करे ना ही वादीगणों को उनके कब्जे काशत से जब रिया बेदखल करें, ना ही प्रतिवादी सं० 18 कोई विक्रय पत्र उक्त भूमि विवादग्रस्त बाबत को तस्दीक नहीं करें, ना ही प्रतिवादी सं० 19 राजस्व रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन या परिवर्धन ही करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थि रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रकरण में वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में पेश किये गये साक्ष्य एवं दस्तावेज से वाद वादीगण का विवादित भूमि की घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। ऐसे में वादीगण का वाद साक्ष्य के अभाव में स्वीकार कर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
(फा०ट्र०) चामू

डिक्री मुकददमा इब्लदाई  
(ओं 20 रुल्स 6 व 7 जाक्ता चीवानी)  
न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला-जयपुर  
पीठासीन अधिकारी -: रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:-230/388/2006


उनवान

1. गुलाब नाथ पुत्र भूरानाथ (मृतक दौराने दावा)
  - 1/1. मालूराम पुत्र गुलाबनाथ योगी ग्राम सामोद तहसील चौमूँ
  - 1/2. कमली पुत्री गुलाबनाथ पत्नि रामदयाल योगी निवासी रींगस रोड बन्धा चौमूँ।
  - 1/3. बाबूलाल पुत्र गुलाबनाथ योगी ग्राम सामोद तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
  - 1/4. श्रवण कुमार पुत्र गुलाबनाथ
  - 1/5. कैलाश चन्द्र पुत्र गुलाबनाथ
  - 1/6. शंकर पुत्र गुलाबनाथ
- समस्त जाति योगी, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
  - 1/7. सीता पुत्री गुलाबनाथ पत्नि लालचन्द्र, जाति योगी, निवासी सालासर बस स्टैण्ड जोगियो का मोहल्ला सीकर।
2. प्रहलाद नाथ पुत्र भूरानाथ, जाति योगी, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

-वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र स्व0 गोपी जाति योगी, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
2. मालीराम पुत्र स्व0 गोपी जाति योगी, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
3. नन्दकिशोर पुत्र दुर्गासहाय, जाति योगी, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
4. जितेन्द्र पुत्र दुर्गासहाय, जाति योगी, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
5. श्रीमति बबली देवी पुत्री दुर्गासहाय पत्नि कैलाश जाति योगी निवासी ग्राम बगरूमहला जिला जयपुर।
6. श्रीमति सीता देवी पुत्री दुर्गासहाय पत्नि मदनलाल, जाति योगी निवासी बगरू महला जिला जयपुर।
7. श्रीमति गीता देवी पुत्री दुर्गासहाय पत्नि हनुमान सहाय जाति योगी निवासी मोरीजा रोड चौमूँ जिला जयपुर।
8. श्रीमति बल्ली देवी पुत्री दुर्गासहाय पत्नि ओमप्रकाश जाति योगी निवासी ग्राम नया बस स्टैण्ड शाहपुरा जिला जयपुर।
9. रामदयाल पुत्र हणमान जाति योगी निवासी ग्राम सामोद तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
10. राजेन्द्र पुत्र हणमान जाति योगी निवासी ग्राम सामोद तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
11. शान्ति देवी पुत्री हणमान जाति योगी, निवासी ग्राम जोगियो का मोहल्ला, चौमूँ, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक)  
चौमूँ (जयपुर)

12. माली देवी पुत्री हणमान जाति योगी, निवासी ग्राम जोगियो का मौहल्ला, चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
13. कमल पुत्र स्व० प्रभू जाति योगी निवासी ग्राम सामोद तहसील चौमूं
14. ओमप्रकाश पुत्र प्रभू (मृतक दौराने दावा)  
14/1. श्रीमति मिश्री देवी पत्नि ओमप्रकाश, निवासी ग्राम सामोद तहसील चौमूं जिला जयपुर।
15. जगदीश पुत्र प्रभू जाति योगी, निवासी ग्राम सामोद तहसील चौमूं
16. आशा पुत्री प्रभू पत्नि कजोड जाति योगी निवासी डाबला तहसील सागानेर जिला जयपुर।
17. मुन्नी पुत्री प्रभू पत्नि ओमप्रकाश जाति, निवासी ग्राम जोगियो का मौहल्ला कस्बा चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।
18. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
20. मुरली देवी पत्नि रामेश्वर, जाति योगी निवासी ग्राम सामोद।
21. भगोती पुत्री रामेश्वर जाति योगी निवासी ग्राम सामोद तहसील चौमूं जिला जयपुर।
22. प्रेम पुत्री रामेश्वर जाति योगी निवासी ग्राम सामोद तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

**दावा बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा**

अधीन धारा 88 89 बी व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं०:-230/388/2006


निर्णय दिनांक:- 05.06.2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

वाद वादीगण का विवादित भूमि की घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। ऐसे में वादीगण का वाद साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .....  
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें  
बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 05.06.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

  
पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलेक्टर (फा० ट्रे०) चौमूं  
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1	2. अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. ....रूपये पर प्लीडर कह फीस		4. साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय		5. कमिशनर की फीस	
6. कमिशनर की फीस		6. आदेशिका की तामिल	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	2

ds  
सहायक कलकरी  
(फास्ट ट्रेक)  
चौमू (जयपुर)